



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 179]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 30, 2011/भाद्र 8, 1933

No. 179]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 30, 2011/BHADRA 8, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 30 अगस्त, 2011

फा. सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ/जी.एन/2011-12/21/27626.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, पुणे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय "शिवलीला चेम्बर्स" 752, सदाशिव पेठ, आर.बी. कुमठेकर मार्ग, पुणे-411030 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए तारीख 8 जून, 2011 के आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा, प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 2 सितम्बर, 2011 को प्रारंभ होने वाली और 1 सितम्बर, 2012 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में सविदाओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित या इसके पश्चात् यथा विहित अथवा अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा अधिरोपित समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के तारीख 7 अक्टूबर, 2009 के परिपत्र सं. एमआरडी/डीएसए/एसई/सीआईआर-12/09 का अनुपालन करने के पश्चात् ही व्यापार प्रारंभ करेगा।

प्रशांत सरन, पूर्णकालिक सदस्य

[विज्ञापन III/4/69-जेडबी/11/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 30th August, 2011

F. No. LAD-NRO/GN/2011-12/21/27626.—The Securities and Exchange Board of India, having considered the application dated June 8, 2011 for renewal of recognition made under section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Pune Stock Exchange Limited, having its registered office at “Shivleela Chambers” 752, Sadashiv Peth, R. B. Kumthekar Marg, Pune-411030 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 2nd day of September, 2011 and ending on 1st day of September, 2012 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as prescribed or imposed hereafter :

- The Exchange shall commence trading only after complying with all the regulatory requirements imposed by Securities and Exchange Board of India and after complying with Securities and Exchange Board of India's Circular No. MRD/DSA/SE/cir-12/09, dated October 7, 2009.

PRASHANT SARAN, Whole Time Member

[ADVT III/4/69-ZB/11/Exty.]